सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए सतकर्ता समितियां

2287. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए सतकर्ता समितियां गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सतकर्ता समितियों ने अब तक क्या कार्य किये हैं?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दी है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावी परिवीक्षा हेतु उचित दर दुकान/ग्राम स्तर पर निगरानी/परामर्शदात्री समितियां गठित करें। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह अनुरोध भी किया गया था कि वे ऐसी समितियां विभिन्न स्तरों, अर्थात् राज्य, जिला, ब्लाक, ग्राम और उचित दर दुकान के स्तर पर गठित करें। उनसे इन समितियों में महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रमुख नागरिकों, उपभोक्ताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का अनुरोध किया गया था। अधिकतर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति और उपलभ्यता की परिवीक्षा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर ऐसी समितियों का गठन कर लिया गया है और वे कार्य कर रही हैं।

जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ छापे

2288. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन कुल कितने छापे मारे गये हैं और राज्य-वार उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में राज्यों के नागरिक पूर्ति मंत्रियों को लिखे गये पत्रों के संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जमाखोरी और कालाबाजारी का निवारण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कितनी शिकायतें मिली हैं;

(घ) उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जमाखोरी और कालाबाजारी में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को क्या सजा दी जाती है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मारे गए छापों तथा वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत जांचे गए तथा अपमिश्रित पाए गए खाद्य नमूनों की संख्या दर्शाने वाले आंकड़े क्रमशः विवरण I तथा II पर दिए गए हैं। (**नीचे देखिए**)

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे जोरी और अन्य